राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2020/293 दिनांक : 14.7.20

कार्यालय आदेश

मण्डल द्वारा 01.07.2019 के पश्चात् जो भी आवासीय सम्पत्तियां खुली बिक्री योजना अथवा बुधवार नीलामी के तहत सील बन्द नीलामी के माध्यम से बेची गई है। उनके आवंटी/क्रेता यदि कोरोना संक्रमण काल से उत्पन्न आर्थिक कठिनाई के कारण एक मुश्त भुगतान नहीं कर पा रहे है, उन्हें वर्तमान 156 मासिक किश्त आधारित योजना का लाभ दिया जावें। **इसमें खुली नीलामी के तहत बेची गई प्रीमियम सम्पत्तियां शामिल नहीं होगी।**

आवंटियों/क्रेता से आवंटन पत्र में वर्णित राशि जमा कराने की अवधि के बाद दिनांक 15.03.2020 से पूर्व अवधि का ही ब्याज लिया जावे (क्योंकि सितम्बर 2020 तक बिना ब्याज भुगतान का प्रावधान पहले से ही किया गया है) इस संबंध में कोई सामान्य योजना जारी नहीं की जावे, मात्र 01.07.2019 के बाद के उक्त प्रकरणों को प्रकरणवार तथ्यों के आधार पर अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल के स्तर पर प्रस्तुत कर निर्णित कराया जाएगा। यह आदेश कोरोना काल में ही दी जा रही शिथिलता से संबंधित है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/ जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा पबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति0 मुख्य प्रारूपकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त वृत्त-...................., रा0 आ0म0, ... ।
8. आवासीय अभियन्ता खण्ड.................., रा0 आ0म0 .... ।
9. सयुक्त एनाालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक